संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		वकील वादी को प्रति सं 2 लगा 6 व 17 के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने की हिदायत दी गई। पत्रावली दिनांक 16.2.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 19.1.18	
	16-2-18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 व 17 के रजिस्टर्ड जवाबाना नोटिस पेश करने की हिदायत दी गई। पत्रावली दिनांक 22-03-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 16.2.18	
	22-3-18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 व 17 के रजिस्टर्ड जवाबाना नोटिस पेश करने की हिदायत दी गई। पत्रावली दिनांक 26.4.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 22.3.18	
	25/4/18	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु न्याय आपके द्वार कैम्प स्थल....दूधली (16.5.18) में पेश हो।	
	16/5/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प दूधली में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण उपस्थित प्रार्थीगण की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत दूधली ने की हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना	लादूराम शर्मा हनुमान सहाय शर्मा प्रेम देवी सरपंच ग्राम पंचायत दूधली पं.स. बस्सी (जयपुर)

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
		पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 81, 62, 95, 11/157, 16, 77, 82, 86, 17 67, 78, 131 कुल किता 12 कुल रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा स्थित ग्राम रामपुरावास दूधली, तहसील बस्सी का रहन, बेचान, हस्तान्तरण नही करे, प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करे एवं रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने एवं लोक अदालत हेतु गठित बैंच के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी ख.न. 81, 62, 95, 11/157, 16, 77, 82 86, 17, 67, 78, 131 कुल किता 12 कुल रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा स्थित ग्राम रामपुरावास दूधली, तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभय पक्षों को पाबंद किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.8.12 को जारी स्थगन आदेश की पालना में उक्त वादग्रस्त भूमि की वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आज दिनांक 16.5.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार राजस्व केम्प कोर्ट दूधली में मजमें आम में सुनाया गया। [signature] 16.5.18	